४

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 181/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/302) बअनवान चम्पालाल व अन्य बनाम बगडूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

चम्पालाल व अन्य

बनाम

बगडूराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मनोहरलाल पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 से 5/3 **बावजूद सूचना अनुपस्थित**
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 09

आदेश

दिनांक 25 मई 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 57/2020 अनवान चम्पालाल वगैरा बनाम बगडूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नबर ग्राम केरला नाडा तहसील लोहावट के मूल खसरा नंबर 520 रकबा 31.3431 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 651/520 652/520,653/520 अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलार्थी संख्या एक दो का 1/9 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व दस्तावेजों से यह साबित किया गया है कि विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि है तथा सभी सहखातेदारों का विवादित भूमि पर प्रत्येक इंच पर कब्जा है। विवादित भूमि में अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 6 व 7 का 1/3 हिस्सा है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित है। अपीलार्थीगण द्वारा बंटवाडा का वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 6 व 7 का विवादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 181/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/302) बअनवान चम्पालाल व अन्य बनाम बगडूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि में 1/3 हिस्सा बंट में आता है तथा उसी अनुसार बंटवाडा की मांग की है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में रास्ते की तरमीम गलत जगह कर मौके से विपरीत जाकर रास्ते के एक तरफ अपीलार्थीगण की भूमि राजस्व रेकर्ड में कम कर दी है तथा सम्पूर्ण रास्ता मौके पर अपीलार्थीगण की भूमि मे से निकाले जाने का रेवेन्यू रिकोर्ड तैयार किया गया है। मौके पर 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है। इसलिए सुविधा का संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष मे साबित है। प्रत्यर्थीगण राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाकर व गलत तरमीम का फायदा उठाकर कब्जे में परिवर्तन कर देते है या गलत जगह सडक का निर्माण कर देते है तो अपीलार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं को अपने पक्ष मे साबित किया है, जिससे भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी अपीलार्थीगण है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं0 6 व 7 की खातेदारी भूमि रास्ते के एक तरफ है तथा दूसरी तरफ अन्य खातेदारान की भूमि है। इसलिए रास्ते की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण उसी अनुसार मौके पर तरमीम की जाकर हिस्से रेवेन्यू रिकोर्ड के अनुसार बराबर रखा जाना आवश्यक हैं, जिसके लिए अपीलार्थीगण भी तैयार है, लेकिन प्रत्यर्थीगण राजस्व रेकर्ड की आड में मौके पर फेर बदल करने पर उतारू है। इसलिए वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात उभय पक्ष की सहखतोदारी की भूमि प्रतीत होती है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 520 में से रास्ता निकल जाने से वह दो भागों में विभक्त हो चुकी है। अपीलांट्स का कथन है कि उक्त रासता निकल जाने से अपीलांट के हिस्से की कुछ भूमि रास्ते के दूसरी तरफ रखी दी गई है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में खातेदारी घोषणा, विभाजन, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज अपील संख्या 181/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/302) बअनवान चम्पालाल व अन्य बनाम बगडूराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पो. द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द किया जाता है तो अपीलांट्स का अनावश्यक मुकदमेबाजी का सामना करना पडेगा। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते हैं। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना प्रथमदृष्टया अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स को पांबद किया जाता है कि वे आराजी खसरा नबर ग्राम केरला नाडा तहसील लोहावट के मूल खसरा नंबर 520 रकबा 31.3431 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नंबर 651/520 652/520, 653/520 के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर